न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 88/2017 जिला भीलवाड़ा

भैरू पुत्र स्व0 जगन्नाथ जाति जाट (मृतक) निवासी कालीरड़िया, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा जरिये वारिसान–

1. भूरीदेवी पत्नि भैरू
2. आवलदेवी पुत्री भैरू
3. राधा पुत्री भैरू
4. सांवरी पुत्री भैरू
5. सीमा पुत्री भैरू
6. निरमा पुत्री भैरू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कालीरड़िया , तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा(राज0)

–अपीलांटस

बनाम्

1. रूकमा पुत्री जगन्नाथ पत्नि सूरजमल
2. बदाम पुत्री स्व0 जगन्नाथ
3. गोपाल पुत्र मगना जाट
4. बाली पत्नि मगना जाट
5. गुलाब पुत्री मगना जाट
6. गणेश पुत्री मगना जाट
7. प्रताप पुत्र बख्तावर जाट
8. देबी पुत्र बख्तावर जाट
9. जेतु बेवा अर्जुन जाट

समस्त जाति जाट, निवासी कालीरड़िया, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा।

10. नारायण पुत्र देबीसिंह जाति राजपूत निवासी सांगानेरी गेट, जिला भीलवाड़ा।
11. लितेश कुमार पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी भीलवाड़ा।
12. भूपेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी भीलवाड़ा।
13. ग्राम पंचायत रेड़वास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रेड़वास तहसील कोटड़ी
14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

– रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी दिनांक 07.06.2017 जो प्रकरण संख्या 09/2015 में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री गोविन्द शर्मा(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः– श्री गौतम टांक
राजकीय अभिभाषकः–श्री आकाश पारीक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रे0 1 रूकमा पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाट ने एक अपील स्वीकृत नामातंरण संख्या 187 दिनांक 21.11.2014 के विरूद्ध की थी। उक्त

अपील में अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 14 को पक्षकार बनाया गया था। जगन्नाथ पुत्र गोकुल जाट रेस्पो0 संख्या 1, 2 और अपीलांट का पिता था। जिसके नाम ग्राम कालीरड़ीयां तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में संवत 2069–72 जमाबंदी के अनुसार खाता संख्या 35, 34,33,36,32 में अंकित भूमियां में रिकोर्ड अनुसार उनका हिस्सा था। जगन्नाथ की मृत्यु के उपरांत नामातंरण संख्या 187 दिनांक 21.11.2014 ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। जिसमें अपीलांट व रेस्पो0 1 व 2 तीनों के नाम भरे गये थे। मगर पंचायत द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का नाम हटाकर मात्र भैरू के नाम उक्त नामातंरण फैसल किया गया था। उक्त नामातंरण से रूष्ट होकर रेस्पो0 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07.06.2017 से अपीला को स्वीकार कर तहसीलदार को पुनः रिमाण्ड कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी से व्यथित होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के अंत में निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी का आदेश दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जायें तथा नामातंरण संख्या 187 दिनांक 21.11.2014 बहाल रखा जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील के साथ प्रमाणित फोटोस्टेट प्रति उपखण्ड अधिकारी के आदेश प्रमाणित दिनांक 07.06.2015 की प्रति साथ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 9/2015 दिनांक 30.07.2015 से 07.06.2017 प्रस्तुत किये। साथ ही नामातंरण संख्या 187 की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया।

न्यायालय कार्यवाही के दौरान वकील प्रार्थी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट भैरू पुत्र जगन्नाथ का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2021 को हो चुका है जिसके निम्नलिखित वारिसान है–

1. भूरीदेवी पत्नि भैरू
2. आवलदेवी पुत्री भैरू
3. राधा पुत्री भैरू
4. सांवरी पुत्री भैरू
5. सीमा पुत्री भैरू
6. निरमा पुत्री भैरू

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपीलांट द्वारा दिनांक 01.09.2021 को प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि उपरोक्त वारिसान को मृतक का राइट टू स्यू सरवाइव करता है। उक्त अपील की पैरवी भैरू स्वयं किया करते थे। इस कारण प्रार्थीगण को प्रकरण में पूर्व में जानकारी नहीं थी। वकील साहब के तारीख पेशी के पत्र से प्रकरण की जानकारी हुई तथा उन्हे भैरू के स्वर्गवास की सूचना दी। जिस पर वकील साहब ने वारिसान को कायम मुकाम करने हेतु कार्यवाही करने की सलाह दी। बिना विलम्ब के प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। देरी को क्षमा किया जायें और अबेटमेंट को निरस्त किया जाये तथा भैरू का नाम हटाकर वारिसान को रिकोर्ड पर लिया जाये।

जवाब में वकील अप्रार्थी द्वारा बताया गया कि अपील अबेट हो चुकी है और अपील को निरस्त किया जायें। न्यायालय द्वारा [illegible] भैरू के वारिसान को रिकोर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया। साथ ही संशोधित [illegible]क पेश किये जाने का निर्देश दिया। एक अन्य प्रार्थना पत्र वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 फॉर्मल

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार होने से उनकी तलबी बंद की जायें। उनका निवेदन स्वीकार करते हुए न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 10 से 12 की तलबी बंद करते हुए पत्रावली बहस हेतु तय की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि भैरू की मृत्यु हो गई है, एल0आर0 फाइल पर है। रेस्पो0 नम्बर 1 रूकमा द्वारा नामातंरण संख्या 187 दिनांक 21.11.2014 के विरूद्ध एस0डी0ओ0 कोटड़ी में अपील प्रस्तुत की गई थी। जो मियाद बाहर थी। सैक्शन 5 भी उनके द्वारा लगाई गई थी। दिनांक 18.11.2015 को हम उपस्थित हुए। दिनांक 03.12.2015 को पत्रावली रूकमा द्वारा कुछ रेस्पो0 का नाम हटाने बाबत प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु नियत थीं। इसके बाद फाइल दिनांक 20.04.2016 को तय की गई थी। मगर फाइल दो माह बाद अचानक दिनांक 20.06.2016 को सीधे लोक अदालत के लिये तय कर दी गई थी। दिनांक 20.06.2016 को फाइल जवाब के लिये तय थी। इसके बाद पत्रावली दिनांक 29.09.2016 के लिये तय थी। फिर अचानक दिनांक 07.06.2015 को लोकअदालत में निर्णय कर दिया गया। उक्त कैम्प बाबत भैरू को कोई सूचना नही थीं। मगर प्रोसिडिंग पर रूकमा के अभिभाषक के हस्ताक्षर है। अपील मियाद बाहर थी। जिस बाबत निर्णय में अस्पष्टता है। पहले धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय होना चाहिए था। उनके द्वारा यह नहीं बताया गया कि नामातंरण की जानकारी उन्हें किस प्रकार से हुई थी। फाइल रूकमा के प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु कुछ लोगो के नाम हटाने के लिये तय की गई थी। न कि अंतिम निर्णय के लिये थी। आदेश लोकअदालत की भावना के विरूद्ध है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है तथा हमने कोई सहमति नहीं दी थी।

बहस में अपीलांट वकील ने बताया कि नामातंरण गलत है या सही है यह बात वकील अपीलांट ने नहीं बताई । नामातंरण विरासती नामातंरण था तथा नामातंरण खोलते समय तीनों पुत्रीयों के नाम दर्ज किये गये थे। प्रकरण लोकअदालत में नहीं रखा गया था। अपितु न्याय आपके द्वार कैम्प में रखा गया था। कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत नोटिस पर भैरू की अंगूठा निशानी लगी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में इनके द्वारा काउण्टर एफीडेविट मियाद के बिन्दु पर नहीं दिया गया। पुत्रीयां कानूनी वारिसान है। अन्य सहखातेदारों से हमें कोई उजर नहीं है। तहसीलदार कोटड़ी को सिर्फ रिमाण्ड हेतु भेजा गया है। तकनीकी आधार पर पुत्रीयों का हिस्सा खत्म नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक बार धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के बाद अपीलीय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2013 पार्ट 2 पेज 1284 आरआरटी–मृतक की पुत्रीयों के नाम भूमि नामातंरित नहीं की, पुत्रीयों द्वारा पेश अपील खारिज की, पुत्रीया प्रथम श्रेणी की वारिसान है। उनको मनमाने ढंग से छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे एकपक्षीय आदेश में परिसीमा तात्विक नहीं है। घोषणा हेतु वाद पेश करने के लिए प्रार्थीयान को बाध्य नहीं किया जा सकता है। मृतक के पुत्रों के आदेश की सीमा तक विक्रय प्रवृतनीय है। , आरबीजे 2015 पेज 479 सुप्रीम कोर्ट –देरी को क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण हो मगर सबस्टेनसिंयल न्याय प्राप्ति में इसका उपयोग शिथिल तरिके से किया जा सकता है तथा आरएलडब्ल्यू 2015 रेवन्यू कोर्ट पेज 972– जब मामले को गुणावगुण पर निश्चित किया जा चुका हो तो परिसीमा के बिन्दु को विनिश्चित किया हुआ जाना चाहिए–परिसीमा के बिन्दु को विनिश्चित करने हेतु मामले को वापस निर्देशित नहीं किया जा सकता है। राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक09.09.2022 जबरू जरिये वारिसान तुलसी प्रस्तुत किये। आरएलडब्ल्यू 2018(1) रेवन्यु पेज 144–हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों के नाम पर नामातंरण खोला गया। प्रार्थीगण का अधि[illegible] साबित करने में सफल रहा है कि कैसे उक्त नामातंरण हिन्दु उत्तराधिकार के विपरित है। [illegible] आरआरडी 1998 पेज 319, 2016(2) आरआरटी पेज 971–मियाद अधिनियम के [illegible] नहीं है, विलम्ब माफ किया।

बहस में वकील रेस्पो0 द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अध्याय 6 की धारा 19 और 20 का विशेष रूप से उल्लेख किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 9/2015 दिनांक 30.07.2015 से 07.06.2017 का अवलोकन किया गया। दिनांक 30.07.2015 को अपील दर्ज की गई। दिनांक 18.11.2015 को वकील अपीलांट व रेस्पो0 उपस्थित हुए, पत्रावली जवाब बहस हेतु दिनांक 03.12.2015 को तय की गई। दिनांक 20.06.2016 लोकअदालत , न्याय आपके द्वारा 2016 कैम्प रेडवास में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं हुआ। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29.09.2016 को तय की गई। दिनांक 07.06.2017 को वकील अपीलांट की उपस्थिति में पत्रावली पर निर्णय किया गया। दिनांक 31.03.2016 के बाद पत्रावली दिनांक 20.04.2016 में रखी गई थी। मगर दिनांक 20.04.2016 में कोई प्रोसिडिंग नहीं है। अतः पत्रावली सीधे ही दिनांक 20.06.2016 में रखी गई थी। इसी प्रकार पत्रावली दिनांक 20.06.2016 के बाद दिनांक 29.06.2016 को रखी गई। मगर इसके बाद भी पत्रावली को सीधे ही दिनांक 07.06.2017 में रखकर निर्णय कर लिया गया। अपीलांट की इस बात में दम है कि मनमर्जी के मुताबिक पत्रावली में आगे बढा गया है जो उचित नहीं है।

यह भी सही है कि दिनांक 29.07.2015 को प्रार्थीया की ओर से सहखातेदारों के नाम हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु पत्रावली नियत थी।

उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 9/2015 रूकमा बनाम भैरू में 07.06.2017 को कैम्प कोर्ट रेड़वास उपस्थित होने बाबत दिनांक 11.05.2017 को नोटिस जारी किया गया था। मूल रूप से इस नोटिस पर तारीख पेशी दिनांक 07.05.2017 लिखी हुई है तथा दिनांक 11.05.2017 को इसे जारी किया गया है। उक्त नोटिस के नीचे अंगूठा निशानी है। मगर किस की है यह अंकित नहीं किया हुआ है। जो संदिग्ध है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 07.06.2017 का अवलोकन किया गया गया है। धारा 5 का निपटारा करते हुए यह लिखा हुआ है कि **''अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को हो जाने से स्वीकार किया जाता है''** तथा अंत में नामातंरण संख्या 187 दिनांक 21.11.2014 को ग्राम कालीरड़ीया को अपास्त करते हुए नये सिरे से रेस्पो0 1 व 2 को सुनकर मृतक जगन्नाथ पिता गोकुल जाट के वारिसान के नाम नामातंरण को दर्ज करने का आदेश गया।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा न्यायालय प्रक्रिया का ध्यान में नहीं रखते हुए प्रोसिडिंग में आगे बढ़ते रहे है। अपीलांट रूकमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र(सहखातेदारों के नाम दर्ज करने बाबत) का निपटारा नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया है। जो उचित नहीं है। निर्णय से पूर्व पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए था। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत मंतवय बिल्कुल अस्पष्ट है। यह समझा नही जा सकता है कि पीठासीन अधिकारी क्या कहना चाह रहे है। उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय बिल्कुल अस्पष्ट है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए था। मगर वर्तमान प्रकरण में धारा 5 का निस्तारण , निर्णय होने के बाद अंत में किया है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी द्वारा कई गलतीयां की गई है। न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए आदेश जारी किया गया है। जिसे किसी हालत में बहाल नहीं रखा जा सकता हैं। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी का निर्णय दिनांक 07.06.2017 निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2017 प्रकरण संख्या 09/2015 रूकमा बनाम भैरू ग्राम कालीरड़ीया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा को अपास्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त कानूनी प्रक्रियां पालन करते हुए दोनों पक्षो को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested